सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 18/17 निर्णय दिनांकः– 05–09–2019

1. गिरधारीसिंह पुत्र बेरीसाल सिंह जाति राजपूत निवासी पारवा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. सुन्दरलाल पुत्र किशनदास जाति साध निवासी पारवा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27–09–2017
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री महेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गिरधारीलाल रामावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–09–2017 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वाद स्वीकार किया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पारवा के खेत खसरा नम्बर 243 रकबा 2.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 246 रकबा 1.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 721 रेकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 1292/242 रकबा 0.25 हेक्टर कुल रकबा 4. 58 हेक्टर भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि का कोई विभाजन नहीं हो रखा है। दोनों ही वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत बयानी करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हुए तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर की गई है। अदालत मातहत के आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी को रजिस्टर्ड समन जारी किये गये, परन्तु उक्त नोटिस की तामीली की सूचना अर्थात प्राप्ति रसीद/एडी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ऐसीस्थिति में केवल मात्र रजिस्टर्ड नोटिस जारी करते हुए अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई है। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित नियमों की पालना नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में किसी प्रकार की कोई तनकीयात् कायम नहीं की गई ना ही अपीलांट जोकि वादगत् भूमि का एक संयुक्त खातेदार है उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेशों पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि ग्राम पारवा तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 243 रकबा 2.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 246 रकबा 1.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 721 रेकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 1292/242 रकबा 0.25 हेक्टर कुल रकबा 4. 58 हेक्टर भूमि जिस पर रेस्पोडेन्ट/वादी का 1/2 हिस्सा निहित है तथा उक्त भूमि का बाहमी बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी द्वारा किया जा चुका है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने – अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज है के बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस विभाजन करने व तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आदेश जैर अपील के माध्यम से वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हिस्सा कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन के आदेश प्रदान करते हुए तहसीलदार नोखा को अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के खेतों में आवागमन की सुविधा तथा अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि को ध्यान में रखते हुए विभाजन के प्रस्ताव पेश करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट/रेस्पोडेन्ट का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है।

उन्होनें आगे कथन किया कि चूंकि प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित की जानी शेष है, ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह विभाजन प्रस्ताव के समय तहसीलदार, नोखा के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आपत्ति व्यक्त कर सकता है। प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही का प्रश्न है, अपीलांट/वादी को नियमानुसार रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर

उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अब वे उक्त तकनीकी बिन्दु का सहारा लेकर किसी प्रकार की रिलिफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस व संबंधित तहसीलदार से समौका रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार करते हुए पक्षकारों के धारण की भूमि व अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार प्रस्तुत किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है। प्रकरण में संबंधित तहसीलदार को अभी सभी पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन तैयार किये जाने शेष है। यदि अपीलांट अपीलाधीन आदेश से व्यथित है तो वे स्वयं मौके पर तत्समय उपस्थित रहकर अपनी आपत्ति व्यक्त करने हेतु स्वतन्त्र है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि ग्राम पारवा तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 243 रकबा 2.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 246 रकबा 1.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 721 रेकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 1292/242 रकबा 0.25 हेक्टर कुल रकबा 4.58 हेक्टर भूमि जिस पर रेस्पोडेन्ट/वादी का 1/2 हिस्सा निहित है, के बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए सभी सह खातेदारों के हिस्से व मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार, नोखा को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। विभाजन के मामलों में यह देखा

जाना अनिवार्य होता है कि क्या वादगत् भूमि के विभाजन से पूर्व सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त व उनके धारण की भूमि का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा तैयार किया गया है अथवा नहीं? प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के हिस्सा व मौके पर कब्जा काश्त व अपीलांट/रेस्पोडेन्ट को खेतों में आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है।

ऐसी स्थिति में प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री जोकि पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारों के हक व हकूकों के संबंध में पारित की गई थी, में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। प्रकरण में जहॉ तक अंतिम डिक्री जारी किये जाने का प्रश्न है, उक्त अंतिम डिक्री में विभाजन के प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना में संबंधित स्वयं की निगरानी में मौके पर सभी पक्षकारों की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवायेगा व विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का समान विभाजन करते हुए सभी पक्षकारों हेतु रास्ते के प्रावधान तथा मौके पर कब्जे काश्त का ध्यान रखा जायेगा। उपरोक्त सिद्वान्त के आधार पर तैयार प्रस्तावों पर आपित्तयॉ प्रस्तुत करने हेतु सहखातेदारों को समुचित अवसर दिया जायेगा।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाकर जाता है कि दोनों पक्षकारों को सुनकर नियम 18 से 21 के अनुसार पारित विभाजन प्रस्ताव पर सभी पक्षकारों के हिस्से तक बंटवारा करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 05—09—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर